

## समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

सरकार के विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 78/आ०प्र०, दिनांक- 09.01.2015 के चालू वित्तीय वर्ष 2014 -15 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत , उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य , लघु शीर्ष -800- अन्य व्यय , उपशीर्ष -0102 - जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड - पी -2245808000102 मांग संख्या -39 , राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5332 विषय शीर्ष - 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन में मो0- 15,000/- (पंद्रह हजार)रु० मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह आवंटन निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय / पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र.	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपआवंटित राशि
01	जिला नजारत उपसमाहर्ता , मधेपुरा	70,000/-	15,000/-	85000/-

( मो0 पंद्रह हजार रुपये मात्र)

उपावंटन की शर्तें :-

1. यह आवंटन विभागीय संकल्प संख्या 125 दिनांक 13-01-2012 के आलोक में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह हेतु निर्गत किया जा रहा है । विभागीय पत्रांक 13 दिनांक 30.05.14 द्वारा बाढ़ सुरक्षा सप्ताह हेतु आवंटित अवशेष राशि का भी उपयोग इस मद में किया जा सकता है।
2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत , उप मुख्य शीर्ष -80 - सामान्य , लघु शीर्ष -800- अन्य व्यय , उपशीर्ष -0102 - जागरूकता एवं क्षमता निर्माण विपत्र कोड - पी -2245808000102 मांग संख्या -39 , राज्य योजना स्कीम कोड - DIS-5332 विषय शीर्ष - 26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. उपरोक्त आवंटन वित्त विभागीय पत्रांक 2561वि0(2)दिनांक 17-04-1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।
4. संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपांटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेबारी होगी ।

5. उपावंटित राशि का उसी मद में व्यय किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का बिचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इस के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
6. उपावंटित राशि की निकासी संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा उक्त त्रुटिपूर्ण आंकड़े के वर्गीकरण के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.15 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए।

६:१  
जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।

ज्ञापांक २९.....दिनांक ३१:१:१५

- प्रतिलिपि : - जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : - कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा / संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, बिभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

३१/१/१५  
जिला पदाधिकारी,  
मधेपुरा।